

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ-4(ई)II/ एपीओ/अलेसे-III/ 8053-59

दिनांक: 26-7-13

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित लेखाकर्मियों की उनके नाम के सामने अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत वित्त विभाग के पत्रांक एफ-2(16)वित्त/राजस्व/2004 दिनांक 23.07.2013 द्वारा नियमित कर वेतन आहरण कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की है। अतः आदेशों की प्रतीक्षा अवधि का वेतन भुगतान कॉलम संख्या 4 में अंकित विभाग/कार्यालय से किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा दी जाती है:-

क्र.सं	नाम लेखाकर्मियों सर्वश्री	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि जो नियमित की गई	विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन का भुगतान किया जावेगा
		कब से कब तक	
1	2	3	4
लेखाकार			
1	दया राम पूनिया	06-05-13 to 30-05-13	कोषालय, चूरु
2	धनराज पेशवानी	01-05-13 to 30-05-13	कोषालय, उदयपुर



निदेशक

दिनांक: 26-7-13

क्रमांक: एफ-4(ई)II/ एपीओ/अलेसे-III/ 8053-59
प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष _____ को भेजकर लेख हैं कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार ही आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावे।
2. ए.सी.पी.(उपनिदेशक(आईटी) वित्त भवन, जयपुर को आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
3. सहायक निदेशक, अलेसे-III मय अतिरिक्त प्रतियाँ
4. श्री _____ लेखाकार कार्यालय _____ को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपना गत भुगतान प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग/कार्यालय को प्रस्तुत करें एवं प्राप्त भुगतान की सूचना भिजवावें।
5. निजी सहायक, निदेशक
6. निजी पत्रावली
- 7.


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)